शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 14 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 31 – 7 अप्रैल 2025 मूल्य पांच रूपये

इस कर्ज के आगाज का अन्जाम क्या होगा–उठने लगा है सवाल

शिमला/शैल। प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट सत्र 28 मार्च को समाप्त हुआ है और सुक्खू सरकार को नये वित्तीय वर्ष में 2 अप्रैल को ही 900 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर वर्ष की शुरुआत करनी पड़ी है। इस कर्ज के आगाज का अंजाम क्या होगा यह प्रश्न इसलिये प्रसांगिक और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि वर्ष 2024-25 के अंतिम दिनों में ट्रेजरी बन्द रही है। ट्रेजरी बन्द होने का अर्थ और परिणाम क्या होता है यह वित्तीय समझ रखने वाला हर आदमी जानता है। जब सरकार विधानसभा में बजट दस्तावेज रखती है तो उसमें तीन वर्षों के आय और व्यय के आंकड़े शामिल रहते हैं। वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों के साथ ही 2024-25 के संशोधित आंकड़े और 2023-24 के वास्तविक आंकड़े सदन में आये हैं। इसी के साथ वर्ष 2023-24 की कैग रिपोर्ट भी इसी सत्र में सदन में आयी है। इस सरकार ने सत्ता दिसम्बर 2022 में संभाली थी और पिछली सरकार के अंतिम दिनों के फैसले पलट दिये थे। इन्हीं फैसलों में एक फैसला पेट्रोल डीजल पर जो वैट पूर्व सरकार ने कम किया था उसे फिर से लागू कर दिया था। ऐसे ही कई और वित्तीय फैसले भी रहे हैं। इन फैसलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुक्खू सरकार ने अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने के कर और अन्य शुल्क बढ़ाने का कदम सत्ता संभालते ही उठा लिया था। लेकिन वर्ष 2023-24 की जो कैग रिपोर्ट आयी है और उसमें जो सवाल उठाये गये हैं उनसे इस सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल हो जाते हैं। कैग ने टिप्पणी की है कि यह सरकार 2795 करोड़ के कर्ज का कोई जवाब ही नहीं दे पायी है। वर्ष 2023 के बरसात में प्रदेश के कुछ भागों में आयी प्राकृतिक आपदा राहत में सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ खर्च किया है। केन्द्र पर यह लगातार आरोप है कि उसने इस आपदा में प्रदेश की कोई मदद नहीं की है। लेकिन कैग रिपोर्ट के मुताबिक आपदा में सरकार ने केवल 1209.18 करोड़ रुपए खर्च किये हैं जिसमें से 1190.35 करोड़ रुपए केन्द्र ने दिये हैं। इस तरह सुक्खू सरकार के अपने वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं।

वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां 37999.87 करोड़ अनुमानित थी जिनके मुकाबले में वास्तव में यह प्राप्तियां 39173.04 करोड़ रही। पूंजीगत प्राप्तियां 11865.71 करोड़ अनुमानित थी और 12206.06 करोड़ वास्तव में रही है। इस तरह करीब 1500 करोड़ यह कुल प्राप्तियां अनुमानों से अधिक रही हैं। परन्तु सरकार के कर और गैर कर राजस्व के आंकड़ों के मुताबिक कर राजस्व 2023-24 में 13025.97 करोड़ अनुमानित था और गैर कर राजस्व 3447.01 करोड़ था। परन्तु इन अनुमानों के मुकाबले कर राजस्व 11835.29 करोड़ और गैर कर राजस्व 3020.28 करोड़ रहा है। इस तरह कर और गैर कर राजस्व अनुमानों से 1617.41 करोड़ कम रहा है। कर और गैर कर राजस्व अनुमानों से कम कर रहा है परंतु राजस्व आय और पूंजीगत आय अनुमानों से 1500 करोड़ ज्यादा रही और कुल कर-करेतर आय 1700 करोड़ कम रहा है। राजकोषीय घाटा जो 9900.14 करोड़ अनुमानित था वह वास्तव में 11265.74 करोड़ रहा। इसमें राजकोषीय घाटे में 1365.60 करोड़ का अन्तर रहा।

इन आंकड़ों के मुताबिक राजस्व और पूंजीगत आय अनुमानों से 1500 करोड़ अधिक रही और कुल करेतर आय 1700 करोड़ कम रही। राजकोषीय घाटा 1365.60 करोड़ रहा। लेकिन 2023-24 के लिये अनुपूरक मांगे 10307 करोड़ रही है। वर्ष 2023-24 में ही सरकार द्वारा करीब 10,000 करोड़ का कर्ज लेने का आरोप भाजपा ने एक आरटीआई जानकारी के आधार पर लगाया था। मुख्यमंत्री ने इस बार भी 2023 की आपदा राहत में 4500 करोड़ खर्च करने का दावा बजट भाषण में किया है। जबकि कैग रिपोर्ट के मुताबिक आपदा में कुल 1209 करोड़ खर्च किये गये हैं। इस तरह कैग रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों के आधार पर 2023-24 के खर्च के जो वास्तविक आंकड़े इस बार के बजट दस्तावेजों में दिखाये गये हैं उनकी प्रमाणिकता पर स्वत: ही सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिये जब सरकार को वर्ष 2025-26 के पहले ही दिन कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ गई है तो इस वर्ष के अन्त तक कुल स्थिति क्या हो जायेगी उसका अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि 2024-25 के मुकाबले 2025-26 के बजट आकार में इतनी कम वृद्धि हुई है कि उसमें संभावित महंगाई को जोड़ दिया जाये तो यह आकार 2024-25 से कम हो जाता है।

क्या प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस मिलकर चल रहे हैं?

शिमला/शैल। क्या प्रदेश भाजपा भी गुटबाजी का शिकार है? क्या भाजपा के सभी गुट अपने-अपने तरीके से सुक्खू सरकार के साथ है? यह सवाल इसलिये उठ रहे हैं कि भाजपा अभी तक अपने अध्यक्ष का चयन नहीं कर पायी है। भले ही भाजपा 'Party with differences' की ओर इस संद्धर्भ में प्रश्नित निगाहों से देख रहे हैं। वैसे तो भाजपा का यह चरित्र उसी दिन से सवालों में आ गया जब यह भ्रष्टाचारियों की शरणस्थली बन गयी थी। हिमाचल भी इसमें अछूता नहीं रहा है। आज भाजपाई बने कांग्रेसी अलग ही नजर आ रहे हैं और शायद यह अलग दिखना ही भीतर की पूरी तस्वीर बयां कर देता है। लेकिन इस समय भाजपा के भीतर क्या पक रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रदेश स्तरीय मुद्दों पर भाजपा का आचरण क्या रहा है।

हिमाचल इस समय वितीय संकट से गुजर रहा है। सुक्खू सरकार इस संकट के लिये पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को दोष देती आ रही है। अभी सरकार को नये वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन कर्ज लेना पड़ा है। इसी संकटपूर्ण स्थिति में अभी बजट सत्र के अंत में विधायकों मंत्रियों और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते बढ़ाये हैं। लेकिन यह बढ़ौतरी और प्रचारित संकट अपने में विरोधाभासी है। परन्तु इस पर भाजपा की ओर से कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। इस बढ़ौतरी के लिये बढ़ती महंगाई को कारण बनाया गया है। परन्तु यह बढ़ती महंगाई आम आदमी को भी बराबर परेशान करती आ रही है। और उसकी ओर किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नये आई.ए.एस. अधिकारी लेने से इन्कार कर दिया है। परन्तु जब सरकार सेवानिवृत्ति अफसरों को पुन: नौकरी पर रख रही है तो सरकार का कदम अपने में ही सवालिया निशान बन जाता है। परन्तु भाजपा इस पर भी एक शब्द नहीं बोली है।

यही नहीं जब प्रदेश के मुख्य सचिव को सेवा विस्तार मिला तब यह सवाल उठा कि केन्द्र ने अपने ही दिशा निर्देशों को नजर अंदाज करके सुक्खू सरकार के सेवा विस्तार के आग्रह को कैसे स्वीकार लिया है। बड़ी हैरानी तो इस बात की है कि प्रदेश भाजपा ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। केन्द्र में तो भाजपा की सरकार है प्रदेश से कांग्रेस का तो एक सांसद तक दिल्ली में नहीं है। ऐसे में बिना प्रदेश भाजपा के सहयोग से यह सेवा विस्तार कैसे संभव हो सकता है? मुख्यमंत्री सुक्खू ने जब यह कहा है कि भाजपा नादौन में ई.डी. की छापे मारी करवा सकती है तो प्रदेश में सी.बी.आई. को भी बुला सकती है। इससे क्या यह इंगित नहीं होता है कि पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के मामले में कोई विशेष योजना तैयार की जा रही है। क्योंकि एक ओर संसद में जिस तरह से भाजपा सांसद पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा है वह अपने में एक बड़ा संकेत हो जाता है। क्योंकि इस पर जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने प्रदेश में किया वह अपने में कोई बड़ा प्रदर्शन न होकर केवल सांकेतिक होकर रह गया है।

राज्यपाल ने पौधरोपण कर मनाया जन्मदिवस

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन परिसर में

बुरांश का पौधा रोपकर अपना जन्मदिवस मनाया। इस विशेष अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी मौजूद थीं।

राज्यपाल ने प्रसिद्ध जाखू मंदिर में पूजा-अर्चना भी की।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने राज्यपाल को दूरभाष से जन्मदिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भी राज्यपाल को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

राज्यपाल को उनके जन्मदिवस पर बधाई देने के लिए राजभवन में एक सादे लेकिन गर्मजोशी भरे समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए आभार व्यक्त किया और कहा 'मुझे राज्य के लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहे, ताकि मैं इस प्रतिष्ठित पद की गरिमा को हमेशा बनाए रख सकूं और हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान दे सकूं।' उन्होंने नशा निवारण अभियान की सफलता पर भी संतोष व्यक्त किया, जो अब एक पूर्ण आंदोलन में बदल गया है। उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून लाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पहल में जनता अपना बहुमूल्य योगदान सुनिश्चित कर रही है।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य गणमान्य लोगों ने भी राज्यपाल को इस अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

हिमाचल की मियार घाटी में ऊनी उड़ने वाली गिलहरी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त

शिमला/शैल। वन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्यजीव प्रभाग द्वारा लाहौल एवं स्पीति जिले की मियार घाटी में किए गए कैमरा टैपिंग सर्वेक्षण के दौरान ऊनी उड़ने वाली गिलहरी

यूपेटॉरस सिनेरेउस का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह कैमरा सर्वेक्षण 10 अक्तूबर से 4 दिसम्बर, 2024 तक आयोजित किया गया था।

उन्होंने बताया कि उत्तर-पश्चिम हिमालय की इस विलक्षण और दुर्लभ प्रजाति को लगभग सात दशकों तक विलुप्त माना जाता था, जब तक कि 1994 में इसकी पुनः खोज नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में इसकी उपस्थिति राज्य के लिए जैव विविधता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह स्तनपायी प्रजातियों की सूची में एक उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। यह सर्वेक्षण हिम तेंदुए की संख्या आकलन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्नो लैपड़ पॉपुलेशन एसेसमेंट इन इंडिया एसपीएआई प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया गया। अध्ययन क्षेत्र में 62 कैमरा ट्रैप लगाए गए थे। यह सर्वेक्षण वन विभाग के वन्यजीव प्रभाग द्वारा प्राकृतिक संरक्षण फाउंडेशन एनसीएफ के सहयोग से संपन्न किया गया।

इन दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप की स्थापना का कार्य स्पीति के किब्बर गांव के स्थानीय युवाओं द्वारा किया गया, जो वर्ष 2010 से ऊपरी स्पीति लैंडस्केप में ऐसे सर्वेक्षणों से जुड़े हुए हैं। इनके साथ लाहौल से एक समर्पित स्थानीय वन्यजीव एवं संरक्षण कार्यकर्ता भी शामिल रहे।

उन्होंने कहा कि कैमरा ट्रैप्स ने ऊनी उड़ने वाली गिलहरी के अलावा कई अन्य महत्त्वपूर्ण वन्यजीवों जैसे हिम तेंदुआ, लाल लोमड़ी, हिमालयी भेड़िया और नेवला की भी उपस्थिति दर्ज की है। ये प्रजातियाँ आमतौर पर वृक्षरेखा के ठीक ऊपर के क्षेत्रों तथा चट्टानी ढलानों वाले पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाती हैं, जो ऊनी उड़ने वाली गिलहरी की पसंदीदा प्राकृतिक आवास श्रेणियों में आते हैं।

वन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह खोज न केवल मियार घाटी की जैविक विविधता को दर्शाती है, बल्कि हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की समृद्धता और संरक्षण की आवश्यकता की भी पुष्टि करती है। यह अध्ययन भविष्य में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की अध्यक्षता में दिव्यांगजन संगठनों के साथ बैठक

शिमला/शैल। सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आशीष सिंहमार ने कहा कि विभाग दिव्यांगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश के सभी विभागों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह बात उन्होंने यहां आयोजित प्रदेश के मुख्य दिव्यांगजन संगठनों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

सचिव ने दिव्यांग संगठनों की मांग के अनुसार शीघ्र ही मुख्य सचिव के साथ बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया।

निदेशक ईसोमसा किरण भड़ाना ने विभाग द्वारा दिव्यांगों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों की विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल प्रदेश के महासचिव देवा चन्द नेगी तथा हिमाचल दिव्यांग कल्याण सभा के अध्यक्ष हरिदास प्रजापति ने सभी दिव्यांग वर्गों के संगठनों को एक मंच पर बुलाकर बैठक करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी दिव्यांग वर्गों के संगठनों की मांगों, जिसमें दिव्यांगों के लिए विशेष स्थानांतरण नीति बनाना, पदोन्नति नीति का सख्ती से पालन करना, दिव्यांग कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष करना, स्वतंत्र दिव्यांग आयुक्त बनाना, सभी दिव्यांगों को बिना शर्त मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने तथा दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने बारे सहित विभिन्न मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया।

बैठक में सभी संगठनों ने विभाग द्वारा गत वित्त वर्ष में 235 पदों को भरने की प्रक्रिया के प्रयासों को पूर्ण करने की सराहना की। उन्होंने भविष्य में किसी भी एक विशेष संगठन के साथ बैठक न करके सभी संगठनों को आमंत्रित करने का आग्रह किया, ताकि सभी दिव्यांग वर्गों के संगठनों के साथ उनकी व्यक्तिगत दिव्यांगता के अनुसार सुगमता प्रदान करने के लिए शिकायतों का उचित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में दिव्यांगजन संगठनों के अतिरिक्त संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

उप-मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को रामनवमी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पवित्र पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के आदर्शों, सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें सद्भाव, सच्चाई और कर्त्तव्यपरायणता की सीख देता है। भगवान श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर हम प्रदेश और समाज को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने कामना की है कि यह पर्व सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आए और प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे।

भट्टी नाला पुल निर्माण से ट्रैफिक जाम की समस्या का होगा स्थाई समाधान

शिमला/शैल। चंबा विधानसभा क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय उच्च मार्ग चक्की-चंबा-भरमौर (एनएच 154ए) के अंतर्गत भट्टी नाला पर बहुप्रतीक्षित पुल के निर्माण के लिए सरकार ने 48 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृत करवाने में सदर विधायक नीरज नैय्यर की अहम भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नीरज नैय्यर ने इस उपलब्धि पर आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि 180 मीटर की लंबाई वाला यह स्पेन पुल क्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध होगा तथा यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यहां उल्लेखनीय यह है कि वर्तमान में भट्टी नाला के समीप सड़क तंग होने के कारण विशेषकर व्यस्त समय में ट्रैफिक जाम के चलते लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

नीरज नैय्यर ने बताया कि चंबा विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वह लगातार प्रयासरत रहेंगे और जनता को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

तकनीकी शिक्षा में प्रतिष्ठित शिक्षकों के लिए राज्य पुरस्कार योजना आरम्भ

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग में विशिष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए राज्य पुरस्कार योजना आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों पर यह योजना तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों के बहुमूल्य योगदान, विशिष्ट सेवाओं, नवाचार और कार्य समर्पण को सराहते हुए उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से आरभ्भ की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 6 श्रेणियों में कुल 10 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई के लिए तीन सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार, रिसर्च एक्सीलेंस एंड इनोवेशन अवार्ड डिग्री लेवल और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन अवार्ड पॉलिटेक्निक्स एंड आईटीआई के लिए दो-दो पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज लेवल के लिए एक-एक पुरस्कार शामिल है।

यह पुरस्कार हर वर्ष 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा प्रदान किए जाएंगे और सम्मान के रूप में मेडल, हिमाचली टोपी, स्कार्फ, शॉल, किताबे, स्मृति चिन्ह तथा मान्यता और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के साथ-साथ उल्लेखनीय कार्यों तथा नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है और यह पहल युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में तकनीकी शिक्षकों के योगदान को दर्शाती है। इस योजना के माध्यम से उन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने शिक्षा, संस्थान विकास, मेंटरशिप, सामाजिक आउटरीच, अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में योगदान से छात्रों के विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शिक्षकों का चयन विभिन्न मापदंडों के आधार पर किया जाएगा, जिनमें शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध कार्य, नवाचार शिक्षण पद्धतियां, पाठयक्रम विकास, विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट, मार्गदर्शन, शोध प्रकाशन, पेटेंट, औद्योगिक सहयोग और सफ्टवेयर या उपकरण का निर्माण शामिल है। पुरस्कार के लिए पात्रता शैक्षणिक नवाचार, औद्योगिक सहयोग, पेटेंट फाइयलिंग या छात्र प्लेसमेंट में से किसी एक क्षेत्र में भी विशेष योगदान अनिवार्य होगा।

चयन प्रक्रिया में बहुस्तरीय मूल्यांकन होंगे। पहले चरण में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा नामित विशेषज्ञ समिति संस्थानों से प्राप्त नामांकनों की समीक्षा करेंगे। इसके उपरान्त तकनीकी शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति उपयुक्त उम्मीदवारों की सिरफारिश करेगी। अंत में सचिव तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षकों का अन्तिम चयन करेगी।

यह पुरस्कार किसी भी शिक्षक को उनके पूरे सेवाकाल के दौरान केवल एक बार ही दिया जाएगा। सेवानिवृत शिक्षक और वे सभी शिक्षक जिन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। केवल वे शिक्षक जो पुरस्कार वर्ष की 30 अप्रैल तक सेवारत होंगे वही इस पुरस्कार के लिए पात्र माने जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के लिए अलग -अलग मूल्यांकन मानदंड लागू होंगे।

वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा पांच इंजीनियरिंग कॉलेज, पांच फार्मेसी कॉलेज, 17 पॉलेटैक्निक और 153 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 180 निजी संस्थान भी राज्य में तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने शिमला के सब्जी मंडी क्षेत्र में भव्य नए परिसर की निर्माण योजना की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय

बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शिमला के सब्जी मंडी क्षेत्र में प्रस्तावित नए भव्य परिसर के विकास की समीक्षा की गई। परिसर में शिमला नगर निगम के कार्यालय सहित शॉपिंग कॉम्पलेक्स, होटल, आवासीय फ्लैट, दुकानें, पार्किंग और कई अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। इस बहुउद्देश्यीय परियोजना का उद्देश्य शहरी बुनियादी अधोसंरचना का विस्तार कर शहर में पर्यटन को बढ़ावा देना है।

इस परिसर का निर्माण लगभग 14 बीघा भूमि पर दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 4 लाख वर्ग फुट पर तथा दूसरे चरण में लगभग 1.40 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार पहले चरण के निर्माण कार्य के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पहले चरण के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कॉलोनी का भी पुनर्विकास किया जाएगा। परिसर के निर्माण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल शिमला के शहरी परिदृश्य के सौंदर्यीकरण में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने शिमला नगर निगम को परियोजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निवासियों के साथ संवाद करने के लिए भी कहा।

शिमला नगर निगम के महापौर सुरेन्द्र चौहान ने शिमला शहर के लिए इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नया परिसर शिमला के विकास में मील पत्थर साबित होगा। इससे लंबे समय से चली आ रही स्थानीय समस्याओं का समाधान होगा और राजधानी की पर्यटन क्षमताओं के विस्तार में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने जिला मंडी, कांगड़ा एवं सोलन के लिए 'केयर ऑन व्हील' पहल के तहत लोगों को स्वास्थ्य सुविधा

प्रदान करने के लिए तीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इन वाहनों के माध्यम से मरीजों को लगभग 25 प्रकार की टेस्ट सुविधा प्रदान की जाएगी। इनमें एक्स-रे के माध्यम से टीबी जांच, ब्लड काउंट, एलबुमिन, एचडीएल, यूरिकेसिड और कॉलेस्ट्रोल आदि टेस्ट शामिल हैं। इन वाहनों में पैलिएटिव केयर, हेंड-हैल्ड एक्स-रे, एक्स-रे मशीन सहित आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। इनमें चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधा प्रदान करेंगे।

यह वाहन कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिल्टी के तहत अपोलो होस्पिटल्स और एचडीएफसी द्वारा प्रदान किए गए हैं।

इस अवसर पर एनएचएम के मिशन निदेशक प्रियंका वर्मा, एनएचएम के उप-मिशन निदेशक डॉ. गोपाल बैरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने हल्दी खरीद के लिए पंजीकरण प्रपत्र जारी किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के किसानों से प्राकृतिक खेती पद्धति द्वारा उगाई गई हल्दी की खरीद के लिए पंजीकरण प्रपत्र जारी किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक पद्धति द्वारा उगाई गई

हल्दी को 90 रुपये प्रतिकिलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का प्रावधान किया था।

यह पहल न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी प्रदान करते हुए किसानों की आर्थिकी एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। कृषि विभाग द्वारा इस सम्बंध में किसानों का पंजीकरण किया जाएगा तथा उन्हें प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पंजीकृत किसानों से खरीदी गई कच्ची हल्दी का स्पाइस पार्क, हमीरपुर में प्रसंस्करण किया जाएगा। प्रोसेस्ट हल्दी का विपणन 'हिमाचल हल्दी' के ब्रांड के नाम से किया जाएगा, जोकि इसे बाजार में अलग पहचान प्रदान करेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार होगा कि राज्य सरकार किसानों से सीधे तौर पर कच्ची हल्दी की खरीद करेगी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को आजीविका के अवसर भी प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक पद्धति से उगाये गये गेहूं को 60 रुपये प्रतिकिलो और मक्की को 40 रुपये प्रतिकिलो के समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा गत दो वर्षों में दूध के समर्थन मूल्य में भी 21 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। वर्तमान में गाय के दूध को 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध को 61 रुपये प्रति लीटर के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है।

वर्तमान में प्रदेश में 2,042.5 हैक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की जा रही है। जिससे प्रतिवर्ष लगभग 24,995 मीट्रिक टन हल्दी उत्पादन हो रहा है। हल्दी उत्पादन में प्रदेश में मुख्य रूप से हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी और सोलन जिला अग्रणी हैं। हल्दी की औषधीय महत्ता के दृष्टिगत विशेषकर कोविड-19 के उपरांत घरेलू एवं अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी बढ़ती मांग के कारण यह किसानों के लिए आजीविका का एक प्रमुख विकल्प बन गई है। हल्दी की प्रमुख विशेषता यह है कि इसे जंगली जानवरों विशेषकर बंदर नुकसान नहीं पहुंचाते। इसकी खेती में कम श्रम की आवश्यकता होती है और कटाई के बाद इसकी शेल्फ लाइफ भी लंबी होती है। इसी कारण से यह फसल हिमाचल के किसानों की चुनौतियों के अनुरूप अत्यन्त अनुकूल है।

विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 267 करोड़ रुपये स्वीकृत:विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गो सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए 267 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी परिव्यय के तहत केंद्र सरकार से विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1400 करोड़ रुपये की मांग रखी गई थी, जिसमें से प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा 267 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं कई बार परियोजनाओं को स्वीकृत करने में तेजी लाने और धनराशि स्वीकृत करने से सम्बंधित मुद्दों को केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठा चुके हैं। प्रथम चरण में 267 करोड़ रुपये जारी करने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि स्वीकृत सड़क परियोजनाओं में जिला चम्बा व ऊना में तीन-तीन पुलों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा 54.37 करोड़ रुपये निगूलसरी-नाथपा सड़क पर लैंडस्लाईड मिटीगेशन के लिए और 40.85 करोड़ रुपये कटोरी बांगड़ा-बनीखेत-चम्बा-भरमौर सड़क के केरू पुल के समीप लैंडस्लाईड मिटीगेशन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। कटोरी बांगड़ा-बनीखेत-चम्बा-भरमौर भटी नाला पुल के समीप सड़क को टू-लेन बनाने सहित भूमि अधिग्रहण के लिए 48 करोड़ रुपये, जिला ऊना में बरना और बोरे वाली खड्ड पर 2 पुलों के निर्माण सहित अन्य कार्यो की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 24.27 करोड़ रुपये और स्वां नदी पर

पुल निर्माण के लिए 36.93 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, ठियोग बाईपास से होकर गुजरने वाली कालका-शिमला-वांगतू सड़क के रखरखाव, सैंज-लूहरी-औट सड़क सहित संवेदनशील स्थानों पर मरम्मत कार्यो, ढली-ठियोग-नारकंडा-रामपुर सड़क के सुदृढ़ीकरण, विभिन्न सड़कों की मैटलिंग एवं टारिंग और कलवर्ट बनाने आदि कार्यो के लिए भी केंद्र द्वारा यह धनराशि स्वीकृत की गई है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जलोड़ी-जोत टनल का एलाइनमेंट कार्य पूरा किया जा चुका है और अब इसकी 1452 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। यह टनल 4.156 किलोमीटर लम्बी होगी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत बोर्ड के कार्यो के सुचारू संचालन के लिए एचपीएसईबीएल में बड़े पैमाने पर फील्ड स्टाफ की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में एचपीपीटीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में एचपीएसईबीएल के कई अधिकारी ऊर्जा निदेशालय, एचपीपीसीएल और पावर कॉरपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन अधिकारियों को 30 अप्रैल तक संबंधित स्थानों में स्थायी रूप से समायोजित होने का विकल्प दिया जाए। इसके पश्चात, जो पद रिक्त रहेंगे उन्हें सरकार प्राथमिकता के आधार पर भरेगी ताकि बोर्ड का कार्य बेहतर ढंग से चल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 मेगावाट क्षमता की उहल चरण-3 जल विद्युत परियोजना का शीघ्र लोकार्पण कर दिया जाएगा। इस परियोजना को 17 मई, 2020 को पेनस्टॉक फटने से नुकसान पहुंचा था। इसके बावजूद वर्तमान राज्य सरकार ने इस परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया और परियोजना के लिए 185 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से अब तक 2.97 करोड़ यूनिट का विद्युत उत्पादन हो चुका है। वर्ष, 2003 में आरम्भ हुई यह परियोजना 22 वर्ष के बाद कार्यशील हो पायी है। यह परियोजना पूरी तरह संचालित होने के उपरान्त प्रतिवर्ष लगभग 392 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी, जिससे राज्य को लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होगा।

शिक्षा विभाग में सरकार के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समिति गठित

शिमला/शैल। शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा कर्मचारियों का उचित स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है।

सचिव शिक्षा इस समिति के अध्यक्ष होंगे। कमेटी के सदस्यों में निदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक उच्च शिक्षा, राज्य परिजन अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, अतिरिक्त सचिव शिक्षा, संयुक्त सचिव शिक्षा, अवर सचिव शिक्षा ए,बी,सी और संयुक्त नियंत्रक वित्त एवं लेखा समग्र शिक्षा अभियान को शामिल किया गया है।

विश्वास कोई पकड़ने की चीज़ नहीं है, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें विकसित होना है।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

मुस्लिम समाज सरकार पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है

वक्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिये अपनी संपत्ति दान देने की अवधारणा है जो 1923 से ब्रिटिश शासन काल से चली आ रही है। 1954 में पहली बार संसद में इस संबंध में कानून बनाकर ऐसी संपत्तियों के प्रबंधन संचालन के लिये वक्फ बोर्ड के गठन का प्रावधान किया। 1995 में इसमें संशोधन करके इसे और शक्तियां दी। लेकिन यह शक्तियां देने के बाद इसमें अतिक्रमण अवैध पट्टे देने और अवैध बिक्री की शिकायतें बढ़ी। 2013 में इसमें और संशोधन करके वक्फ संपत्तियों की बिक्री को अवैध करार दे दिया। वक्फ में उपजे किसी भी विवाद के निपटारे के लिये एक ट्रिब्यूनल गठित है और इसके फैसलों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह सब नए वक्फ अधिनियम पर संसद में चली बहस के दौरान सामने आ चुका है। नये संशोधन में गैर मुस्लिमों को भी वक्फ का सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया। नये कानून में संपत्तियों पर उठे किसी भी विवाद के निपटारे के लिये डीएम को अधिकृत किया गया है। डीएम का फैसला अन्तिम होगा और उसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। भारत बहुभाषी और बहुधर्मी देश है। इसलिये संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक स्वतन्त्रता का प्रावधान किया गया है। धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिये संस्थाएं स्थापित करना उनका संचालन और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के लिये हर धर्म का आदमी स्वतंत्र है। संविधान के इसी अनुच्छेद के आधार पर नये वक्फ विधेयक को असवैधानिक मानकर इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। अब यह मामला देश की सुप्रीम अदालत के सामने हैं। आशा की जानी चाहिये की अदालत बहुत जल्द इस संबंध में आयी याचिकाओं का निपटारा करके इसकी वैधता पर अपना फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन्तजार किया जाना चाहिए। लेकिन इस विवाद से ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो गया है कि देश की दूसरी बड़ी धार्मिक आबादी को सरकार पर अविश्वास क्यों पैदा हो गया है। आखिर इस अविश्वास का आधार और कारण क्या है। इसकी पड़ताल करने के लिये 2014 में आये राजनीतिक सत्ता के बदलाव के बाद उपजी व्यवहारिक स्थितियों पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। भाजपा संघ परिवार की राजनीतिक इकाई है। इसलिये भाजपा के संगठन सचिव का दायित्व हर स्तर पर संघ के ही प्रतिनिधि के पास रहता है। भाजपा का वैचारिक स्रोत संघ है। संघ भारत को शुद्ध हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहता है। संघ की सारी अनुसांगिक इकाईयां इसी के लिये प्रयासरत है। इस प्रयास में भाजपा की भूमिका और जिम्मेदारी सबसे अहम है। क्योंकि राजनीतिक सत्ता भाजपा के हिस्से में है। हिन्दू राष्ट्र बनाने का रास्ता राजनीतिक सत्ता से होकर गुजरेगा। इस समय भारत में दूसरी बड़ी धार्मिक आबादी मुस्लिमों की है और वह हर राज्य में हैं। मुस्लिमों के बाद सिक्ख आते हैं। और वह संयोगवश एक ही राज्य तक है। इसी हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना में मुस्लिम बाधक हो जाते हैं। फिर देश का बंटवारा भी धार्मिक आधार पर हुआ था और पाकिस्तान मुस्लिम देश बन गया। पाकिस्तान भारत की तरह धर्मनिरपेक्ष चरित्र का नहीं है। जबकि भारत का मूल धर्मनिरपेक्षता है। यदि भारत भी एक ही धर्म को राजनीतिक धर्म बना ले तो इतने बड़े देश में एकता बनाये रखना बड़ा प्रश्न हो जायेगा । इस परिपेक्ष में यदि 2014 के सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह का व्यवहार मुस्लिम समुदाय के प्रति रहा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि एक निश्चित योजना के तहत हिन्दू राष्ट्र की दिशा में प्रयास चल रहे हैं। यह सामने आ चुका है मुस्लिम समाज के प्रति सहानुभूति रखने वाले पाकिस्तान चले जाने की राय मंत्री स्तर के लोगों से आ चुकी है। मेघालय हाईकोर्ट में जब जस्टिस एस आर सेन ने 2018 में भारत को हिन्दू राष्ट्र हो जाने का फैसला दिया था तब वह इस दिशा का एक बड़ा संकेत था। इस फैसले पर आपत्तियां आयी और यह रद्द हुआ। लेकिन फैसला तो आया। फिर संघ प्रमुख डॉ. भागवत के नाम से भारत का संविधान वायरल हुआ। इसमें महिलाओं के अधिकारों पर अंकुश की बात कही गई थी लेकिन यह संविधान कैसे वायरल हुआ इसकी कोई जांच सामने नहीं आयी न ही इसका कोई खण्डन सामने आया। फिर स्कूलों में मनुस्मृति को पाठयक्रम का हिस्सा बनाने का सुझाव आया। गौ रक्षा के नाम पर एक समुदाय के खिलाफ भीड़ हिस्सा का तांडव इस देश ने देखा। नये संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर सांसदों को दी गयी संविधान की प्रति से धर्मनिरपेक्षता शब्द का गायब होना। सम्मान नागरिक संहिता पर उभरा आन्दोलन देश ने देखा है। आज भाजपा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है लेकिन इस बड़े दल में एक भी मुस्लिम न विधायक है और न ही सांसद है। केन्द्रीय मंत्री परिषद में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। क्या इस तरह की व्यवहारिकता से मुस्लिम समाज सरकार पर विश्वास कर पायेगा। देश के लिये यह बहुत ही कठिन समय है। सरकार को व्यवहारिक स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे जिससे विश्वास बहाल हो सके।

राम से बड़ा राम का नाम

डॉ. नीलम महेंद्र

वो त्रेता युग का समय था जब सूर्यवंशी महाराज दशरथ के घर कौशल नन्दन श्री राम का जन्म हुआ था।

समय कहाँ रुकता है भला! तो वह अपनी गति से चलता रहा। आज हम द्वापर से होते हुए कलियुग में आ गए हैं। लेकिन इतने सहस्रों वर्षों के बाद भी, इतने युगों के पश्चात भीप्रभु श्री राम का चरित्र देश देशांतर की सीमाओं से परे, वर्षों और युगों के कालचक्र को लांघकर अनवरत सम्पूर्ण विश्व को आकर्षित करता रहा है।

हरे रामा, हरे कृष्णा का जाप आज वैश्विक स्तर पर एक अनूठी आध्यात्मिक सन्तुष्टि, परम् आनन्द की अनुभूति एवं मनुष्य को एक अलग हीआनन्दमय लोक में पहुँच जाने का अनुभव दिलाने वाला सर्व स्वीकार्य मंत्र बन चुकाहै।

दरअसल श्री राम का चरित्रही ऐसा है। एक आदर्श पुत्र हो या एक आदर्श भ्राता भाई, एक आदर्श पति हो या एक आदर्श राजा, एक आदर्श मित्र हो या फिर एक आदर्श शत्रु! राम मर्यादाओं में रहने वाले,पुरुषों में उत्तम,ऐसे मर्यादा पुरूषोत्तमी हैं जिनका जीवन कठिनाइयों एवं संघर्षो से भरा रहा किंतु फिर भी मानव रूप में उन्होंने मुस्कुराते हुए सहज रूप से धर्म की राह पर चलते हुए इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया कि इतने वर्षो बाद आज भी वह हमारा पथ प्रदर्शक है।

कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि प्रभु श्री राम का चरित्र हमारा वो सनातन इतिहास है जो इतने वर्षो बाद भीसम्पूर्ण विश्व की मानवता को वर्तमान तथा भविष्य की राह दिखा रहा है।

इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज की 21 वीं सदी में भी जब आदर्श प्रशासन की बात की जाती है तो भारत ही नहीं विश्व भर में रामराज्य ही उसका प्रतिमान होताहै।

यही कारण है कि हम यह कामना करते हैं कि, नगरी हो अयोध्या सी,रघुकुल से घराना हो, चरण हों राघव के जहां मेरा ठिकाना हो।

कहते हैं कि जब लंका जानेके लिए श्री राम की वानर सेना समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण कर रही थी और वानर समुद्र में पत्थर फेंक रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने देखा कि वानर समुद्र में पत्थर पर राम नाम लिखकर फेंक रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि जब मेरा नाम लिखा पत्थर तैर रहा है तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकूँतो वो भी तैरेगा। यही सोचकर उन्होंने एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंका। लेकिन वो पत्थर डूब गया। वे आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमानजी यह सब देख रहे थे। कौतूहल वश श्री राम ने हनुमानजी से पूछा कि मेरे नाम के पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं लेकिन जब मैंने वह पत्थर फेंका तो डूब गया ?

तब हनुमान जी बोले,प्रभु आपके नाम को धारण करके तो सभी अपने जीवनको पार लगा सकेते हैं, लेकिन जिसे आप स्वयंत्याग दें, भला उसे डूबने से कोई कैसे बचा सकता है!

इसीलिए कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। यह राम नाम की महिमा ही है कि प्रभु श्री राम के चरित्र पर सुनियोजित तरीके से अनेक आक्षेप लगाने के प्रयत्न किए गए लेकिन इसके बावजूद उनके प्रति भद्रि,श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के भाव भौगोलिक समेत हर सीमा को लाँघते हुए वैश्विक स्तर पर मानव हृदय में समाहित होते चले गए।

सनातन विरोधियों द्वारा उन्हें मांस भक्षी बताया गया, उनपर अनैतिक रूप से वाली वध का आरोप लगाया गया, एक शूद्र शम्बूक के वध का आक्षेप लगाया गया, यहाँ तक कि उनके द्वारासीता माता का परित्याग करना भी बताया गया।

जबकि सत्य तो यह है कि न तो कभी श्री राम और न ही किसी रघुवंशी ने कभी मांस का सेवन किया था, न उन्होंने वाली का वध अधर्मपूर्वक किया था, न उन्होंने किसी शम्बूक नामक शुद्र का वध किया था और न ही कभी सीता का परित्याग ही किया था। इस विषय को रामा vs राम पुस्तक में विस्तार से देखा जा सकता है।

वाल्मीकि रामायण जिसे सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है और न ही तुलसीदास कृतरामचरित मानस में शम्बूक वध अथवा सीता परित्याग का कोई वर्णन है। बल्कि इनमें रामचरित्र का वर्णन ऐसा है कि राम जब पुत्र होते हैं तो अतुलनीय होते हैं और ये दशरथनन्दन अपने माता पिता के प्राण होते हैं। जब शिष्य होते हैं तो बालक राम अपने गुरुओं का अभिमान होते हैं। जब भाई होते हैं तो भ्राता राम प्रेम और त्याग की मूरत होते हैं। जब पति होते हैं एक पत्नी व्रत धारण करने वाले अपनी पत्नी को समर्पित एक आदर्श पति सियावर राम होते हैं। और जब वे राजा होते हैं तो राजा राम युगों युगों तक जिसकी कोई समानता न कर पाए उस रामराज्य की स्थापना करते हैं। जब वे शस्त्र उठाते हैं तो धर्म की स्थापना के लिए और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए उठाते हैं न कि अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार करने के लिए। जब वे किष्किंधा के राजा वाली का वध करते हैं तो अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए करते हैं और किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव का राज्याभिषेक कर देते हैं। जब रावण का वध करते हैं तब भी धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए शस्त्र उठाते हैं और विजय के उपरांत लंका के राजसिंहासन पर विभीषण का राज्याभिषेक कर देते हैं।

प्रभु श्री राम के चरित्रकी उदारता देखिए कि जब राम और रावण युद्ध हो रहा था, तो लंकाधिपति रावण के सामने अपनी पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक वनवासी खड़ा था। एक ओर जहां रावण रक्षा कवच और सारथी और आयुधों से युक्त रथ पर सवार था, वहीं राम बिना रथ,बिना कवच और बिना जूतों के धरती और खड़े हो करयुद्ध लड़ रहे थे। ऐसे में विभीषण चिंतित होकर श्री राम से कहते हैं कि इस स्थिति में रावण पर विजय कैसे प्राप्त होगी? तब प्रभु श्री राम की महानता देखिए, वे कहते हैं,

सौरज धीरज तेहि रथ चाका।
सत्य सील दृढ़ ध्वजापताका।।
बल बिबेक दम परहित घोरे।
छमा कृपा समता रजु जोरे।।
ईस भजनु सारथी सुजाना।
बिरति चर्म संतोषकृपाना।।
दान परसु बुधि सक्तिप्रचंडा।
बर बिज्ञान कठिन कोदंडा।।
अमल अचल मन त्रोन समाना।
सम जम नियम सिलीमुखनाना।।
कवच अभेद बिप्र गुर पूजा।
एहि सम बिजय उपाय नदूजा।।
सखा धर्ममय अस रथ जाकें।
जीतन कहं न कतहुं रिपुताकें।।

अर्थात वे विभीषण से कहते हैं कि जिस रथ से विजय होती है, वो रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वज और पताका हैं। बल, विवेक, दम (इंद्रियों का वश में होना) और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित और स्थिर मन तरकस के समान हैं। शम (मन का वश में होना) यम (अहिंसा) नियम (शौच आदि) ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो,उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है।

आज के समय में जब भ्रष्टाचार, स्वार्थ परायणता, अनैतिकता, द्वेष जैसे विकार हमारे समाज में हावी हैं, प्रभु श्री राम के द्वारा बताए गए ये गुण हमे मानवता को बचाने की निश्चित राह दिखाते हैं। वो राह जिस पर चलकर वे रावण जैसे शक्तिशाली असुर से युद्ध जीते।

उस राह पर भारत सदा सेचलता है और विश्व को भी राह दिखाता रहा है। यही भारत की आध्यात्मिक शक्ति है! यही भारत की संस्कृति है!! यही भारत का गौरवशाली सनातन इतिहास है!!! आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से निर्मित भव्य रामलला का

1905 के कांगड़ा भूकंप की 120वीं वर्षगांठ पर विशेष

राजन कुमार शर्मा

जैसा कि 4 अप्रैल, 1905 को भारतीय इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में आया था। रिक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता वाले इस भूकंप ने व्यापक विनाश किया और इस क्षेत्र के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। भूकंप का केंद्र कांगड़ा शहर के पास था, जिसने पूरे क्षेत्र के गांवों और कस्बों को नष्ट कर दिया। जिला मुख्यालय धर्मशाला को भारी नुकसान पहुंचा और कई इमारतें ढह गईं। सबसे दुखद नुकसान कांगड़ा शहर में हुआ, जहां हजारों लोग अपने घरों के मलबे के नीचे दबकर मर गए। इस आपदा ने लगभग 20,000 लोगों की जान ले ली और कई लोग घायल हो गए। क्षेत्र का बुनियादी ढांचा बर्बाद हो गया, जिससे राहत प्रयासों में बाधा आई। बड़े पैमाने पर विनाश के बावजूद, भूकंप ने भारत के आपदा प्रबंधन के तरीके में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जिसके परिणामस्वरूप अगले दशकों में जागरूकता और तैयारी में वृद्धि हुई। इस दुखद घटना की 120वीं वर्षगांठ मनाते हुए, हम कांगड़ा के लोगों के लचीलेपन और साहस को याद करते हैं, जिन्होंने इस घटना के बाद अपने जीवन और समुदायों को फिर से खड़ा किया। यह भूकंप प्राकृतिक आपदाओं की अप्रत्याशित प्रकृति और आपदा तैयारी के महत्व की एक स्पष्ट याद दिलाता है। आज, जब हम अतीत पर विचार करते हैं, तो यह उन लोगों की स्मृति का सम्मान करने का भी अवसर है, जिन्होंने 1905 में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपनी जान गंवाई थी। दुनिया भर की सरकारों ने भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए कई पहलों को लागू किया है, जिसमें तैयारी, प्रतिक्रिया और लचीलापन निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये पहल प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों से लेकर संरचनात्मक विनियमों तक भिन्न हो सकती हैं। भूकंप शमन में सरकार के नेतृत्व वाले प्रयासों के कुछ प्रमुख उदाहरण यहां दिए गए है।

1. भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली

कई सरकारों ने भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली (EEWS) विकसित और तैनात की है जो महत्वपूर्ण भूकंप आने से कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट पहले अलर्ट प्रदान करती है। ये सिस्टम लोगों को परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को खाली करने या रोकने जैसे सुरक्षात्मक कदम उठाने में मदद कर सकते हैं।

जापान: जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली संचालित करती है। यह टीवी, रेडियो और मोबाइल फोन के माध्यम से जनता को अलर्ट प्रदान करती है।

मेक्सिको: मैक्सिकन सिस्मिक अलर्ट सिस्टम (SASME) मेक्सिको सिटी और अन्य क्षेत्रों के लिए भूकंप अलर्ट प्रदान करता है जो भूकंपीय गतिविधि के लिए प्रवण हैं।

2. बिल्डिंग कोड और विनियम

सरकारें अकसर यह सुनिश्चित करने के लिए बिल्डिंग कोड लागू करती हैं और उन्हें लागू करती हैं कि संरचनाएँ भूकंप-प्रतिरोधी हों। इन संहिताओं के अनुसार इमारतों को भूकंपीय गतिविधि का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जिससे ढहने का जोखिम कम हो।

कैलिफ़ोर्निया यूएसए कैलिफ़ोर्निया बिल्डिंग स्टैंडर्ड कोड (शीर्षक 24) में नई इमारतों के लिए भूकंपीय सुरक्षा विनियम शामिल हैं। 1994 के नॉर्थ्रिज भूकंप के बाद, पुरानी संरचनाओं को फिर से तैयार करने के लिए सख्त नियम पेश किए गए।

तुर्की :1999 के विनाशकारी इज़मित भूकंप के बाद, तुर्की ने इमारत सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए तुर्की भूकंपीय डिज़ाइन कोड पेश किया।

3. सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता अभियान

सरकारें अक्सर लोगों को भूकंप के जोखिमों और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम चलाती हैं। इन कार्यक्रमों में लोगों को भूकंप के दौरान गिरना, ढकना और पकड़ना सिखाना और आपातकालीन किट और निकासी योजनाएँ तैयार करने के तरीके के बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करना शामिल हो सकता है।

यूएसए (फ़ेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी -FEMA): FEMA "शेकआउट" जैसे अभियानों के माध्यम से भूकंप सुरक्षा के बारे में शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है, जो एक वैश्विक भूकंप अभ्यास है।

भारत: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) भूकंप सुरक्षा जानकारी, आपदा तैयारी मार्गदर्शिकाएँ प्रदान करता है, तथा भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

4. भूकंप प्रतिरोधी अवसंरचना

सरकारें अकसर पुलों, बांधों और राजमार्गों जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को फिर से तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे भूकंप का सामना कर सकें। इससे आर्थिक नुकसान में उल्लेखनीय कमी आ सकती है तथा आपदा के बाद की वसूली में सुधार हो सकता है।

न्यूज़ीलैंड: 2011 के क्राइस्टचर्च भूकंप के बाद, न्यूज़ीलैंड ने अपने अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई उपाय लागू किए, जिसमें प्रमुख इमारतों और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को फिर से तैयार करना शामिल है।

चिली: चिली ने अपने सार्वजनिक अवसंरचना की भूकंप प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है, विशेष रूप से सैंटियागो जैसे शहरों में।

5. भूकंपीय खतरे का मानचित्रण

सरकारें अकसर विभिन्न क्षेत्रों के भूकंपीय खतरे का मानचित्रण करने में निवेश करती हैं, जिससे भूकंप के जोखिम की स्पष्ट तस्वीर मिलती है। इससे भूमि-उपयोग नीतियों और आपातकालीन तैयारी योजनाओं को सूचित करने में मदद मिलती है।

संयुक्त राज्य अमेरिकारू संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) नियमित रूप से राष्ट्रीय भूकंपीय खतरा मानचित्र को अद्यतन करता है, जिससे स्थानीय और राज्य स्तर पर नीति और विनियमन को निर्देशित करने में मदद मिलती है।

जापान: जापानी सरकार स्थानीय अधिकारियों और व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम के स्तर को समझने में मदद करने के लिए विस्तृत भूकंपीय खतरा मानचित्र प्रदान करती है।

6. आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति योजना

सरकारें भूकंप के बाद प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रयासों को समन्वित करने के लिए आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों की स्थापना करती हैं। इसमें भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति जैसे संसाधनों को पहले से तैयार करना, साथ ही एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित आपातकालीन कार्यबल सुनिश्चित करना शामिल है।

नेपाल: 2015 के विनाशकारी गोरखा भूकंप के बाद, नेपाल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन से आपदा प्रतिक्रिया क्षमता और पुनर्प्राप्ति पहलों को मजबूत करने पर काम किया।

इंडोनेशिया: इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (BNPB) भूकंप और सुनामी के बाद, विशेष रूप से 2004 के हिंद महासागर भूकंप और सुनामी के बाद तीव्र प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति की योजना बनाने में महत्वपूर्ण रही है।

7. भूकंपीय जोखिम बीमा और वित्तीय सहायता

सरकारें कभी-कभी बड़े भूकंप के बाद निवासियों और व्यवसायों को वित्तीय रूप से उबरने में मदद करने के लिए भूकंप बीमा कार्यक्रम बनाती हैं। ये कार्यक्रम निजी बीमा प्रदाताओं को भूकंप कवरेज प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

जापान: जापानी सरकार ने एक भूकंप बीमा प्रणाली स्थापित की है, जिसमें पॉलिसीधारक भूकंप की स्थिति में सरकार द्वारा समर्थित बीमा भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।

तुर्की: 1999 के भूकंप के बाद, तुर्की ने एक राज्य समर्थित भूकंप बीमा कार्यक्रम, DASK शुरू किया, जो घर के मालिकों को भूकंप से होने वाले नुकसान के खिलाफ अपनी संपत्तियों का बीमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

हाल ही में 28 मार्च, 2025 को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया, जिसका केंद्र सागाइंग-मांडले सीमा क्षेत्र के पास था। भूकंप के कारण कई क्षेत्रों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ और व्यापक विनाश हुआ।

हताहतों और क्षति:

मृत्यु दर: पुष्टि की गई मौतों की संख्या 2,886 तक पहुंच गई है, आशंका है कि बचाव अभियान जारी रहने के कारण अंतिम संख्या 3,000 से अधिक हो सकती है।

घायल: 4,600 से अधिक व्यक्तियों के घायल होने की सूचना मिली है, जिनमें से कई को तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है।

लापता व्यक्ति: लगभग 373 लोग अभी भी लापता हैं, जिससे अतिरिक्त हताहतों की चिंता बढ़ गई है।

बुनियादी ढांचे को नुकसान: अस्पताल, स्कूल और आवासीय संरचनाओं सहित कई इमारतें ढह गई हैं, खासकर सागाइंग, मांडले और नेपीडी क्षेत्रों में।

हमारे वैज्ञानिकों को भूकंप की गतिविधि का समय पर पता लगाने के लिए ऐसी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि हम अपने लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकें। इसके अतिरिक्त भूकंप की सुचना आप भारत के सभी जिलों में स्थापित आपदा नियत्रण कक्ष के निशुलक दूरभाष नंबर 1077 पे दे सकते हैं।

मंडी जिला में इन्दिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में 3705 पात्र बच्चों की पहचान

शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों के लिए प्रतिमाह मिलेगा 1000 रुपये का अनुदान

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शी और संवेदनशील सोच प्रदेश के पिछड़ों और जरूरतमंदों के लिए सहारा बन कर उभर रही है। सत्ता संभालते ही बिना माता-पिता के निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना लाकर मसीहा बन कर उभरे मुख्यमंत्री गरीब और असहाय वर्गो के कल्याण के लिए सत्ता संभालने के उपरांत कई योजनाएं शुरू कर चुके हैं और लाखों लोग इन योजनाओं से लाभान्वित भी हो रहे हैं।

विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता-पिता के बच्चों का दर्द समझते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के दो साल पूरे होने पर एक नयी योजना शुरू की है जिसका नाम है सुख शिक्षा योजना। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से असहाय महिलाओं और दिव्यांग माता-पिता के ऐसे बच्चे जो परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते हैं और जिनका सही ढंग से पालन पोषण नहीं हो रहा है, उनकी सहायता करने का प्रावधान किया गया है।

मंडी जिला में इस योजना में कुल 3705 पात्र बच्चों की पहचान कर ली गई है। इन्हें निकट भविष्य में योजना के प्रावधानों के अर्न्तगत लाभान्वित किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार इन बच्चों को स्नातक, स्नातोक्तर, डिप्लोमा या व्यवसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश पाने वाले बच्चों की टयूशन फीस और छात्रावास के खर्चो के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पारिवारिक स्तर पर बाल संरक्षण को सुदृढ़ करना और बाल शोषण, तस्करी, बाल विवाह और मादक पदार्थो के दुरूपयोग जैसे मुद्दों को रोकना है। योजना के अंतर्गत चयनित इन 3705 बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रदेश सरकार से शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चो के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये का अनुदान मिलेगा।

व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से प्रदेश सरकार जहां सार्थक कदम उठा रही है, वहीं सामाजिक सरोकारों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। लाभार्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा प्रत्येक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए किया जा रहे ऐसे प्रयास वंचित वर्गो को मुख्यधारा में शामिल करने में निश्चित ही सार्थक सिद्ध होंगे।

युवाशक्ति का अद्भुत संकल्प–150 बीघा बंजर भूमि पर बना खेल मैदान

ज़िला मुख्यालय के साथ लगती ग्राम पंचायत उदयपुर की युवाशक्ति ने अपने सामूहिक योगदान का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 150 बीघा बंजर भूमि पर एक खेल मैदान बनाया है। इससे युवाओं को विभिन्न बहुआयामी खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने की

सुविधा उपलब्ध हुई है। स्थानीय युवाओं की यह शानदार पहल सामुदायिक सहयोग से विकास कार्यो का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत करती है ।

यूथ स्पोर्ट्स क्लब उदयपुर के अध्यक्ष राकेश कपूर बताते हैं कि साथियों में खेलों के प्रति प्रेम और नशे से दूरी की सोच ने उन छोटे प्रयासों को पूरी तरह सफल बना दिया, जो पांच वर्ष पहले शुरू हुए थे।

उनका यह भी कहना है कि समस्त ग्राम पंचायत वासियों के पूर्ण सहयोग तथा विभागीय योजनाओं से यह पहल आज एक बड़ी उपलब्धि बनी है।

युवाओं का कहना है कि इस मैदान में क्रिकेट सहित विभिन्न खेलों की सुविधा आज उपलब्ध हुई है। पंचायत के समस्त लोगों का निर्माण कार्य को पूर्ण करने का प्रण है। अब तक निर्माण से संबंधित लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण किया गया है।

ग्राम पंचायत के युवा-उपप्रधान अनूप गांधी बताते हैं कि इस उपलब्धि पर विधायक नीरज नैय्यर ने उपायुक्त सहित विभिन्न अधिकारियों के साथ गत माह के दौरान खेल मैदान का निरीक्षण किया था। उन्होंने युवाओं की इस शानदार पहल की सराहना करते हुए यूथ स्पोर्ट्स क्लब को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया था। इसके परिणाम स्वरुप पंचायत को अब लगभग 54 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। इससे निर्माण कार्यो को और गति मिलेगी।

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने युवा स्पोर्ट्स क्लब उदयपुर द्वारा बनाए गए इस खेल मैदान के निर्माण कार्यो की सराहना करते हुए इसे जनभागीदारी और विभागीय योजनाओं के समावेश का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

उपायुक्त ने कहा कि यह खेल मैदान न केवल खेलों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि युवाओं के सशक्तिकरण और सामुदायिक सहयोग को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों से ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित बनाने के लिए ऐसे कार्यो से प्रेरणा लेने का भी आग्रह किया है।

दो वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 31 मार्च, 2025 तक अपना दो वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया।

इसी तरह चार वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों कंटिन्जेंट पेड वर्कर्स को भी इसी तिथि से नियमित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने एसजेवीएनएल को पूर्व में आवंटित 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी, 210 मेगावाट की लूहरी चरण-1 और 66 मेगावाट की धौलसिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं और एनएचपीसी को आवंटित 500 मेगावाट की डूगर और 180 मेगावाट क्षमता की बैरा स्यूल परियोजनाओं को प्रदेश सरकार के अधीन लेने का निर्णय लिया।

बैठक में सुन्नी, लूहरी चरण-1, धौलसिद्ध और डूगर परियोजनाओं के अधिग्रहण के लिए इन परियोजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय का आकलन करने को स्वतंत्र मूल्यांकक नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा बैरा स्यूल परियोजना के अधिग्रहण के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल, बिलासपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी स्वाहण में 50 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक सीसीबी और शिमला जिले के नागरिक अस्पताल रोहडू में भी 50 बिस्तरों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा तथा डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से संबद्ध जिला अस्पताल, हमीरपुर में जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने की भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कमला नेहरू अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना और जिला मंडी के नागरिक अस्पताल सुन्दरनगर में निर्माणधीन मातृ एवं शिशु अस्पतालों विंग के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में सीनियर रेजिडेंट और टयूटर स्पेशलिस्ट के मासिक मानदेय को 60-65 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट के मानदेय स्टाइपेंड को 60-65 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 30 हजार रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने रोगी कल्याण समिति को सशक्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति प्रदान की। समिति ने सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उच्च तकनीक से लैस प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा अनाथ, विधवाओं और उनके आश्रित बच्चों, एकल नारियों और निराश्रित महिलाओं को सभी 133 लैब टेस्ट और एक्स-रे सेवाएं नि:शुल्क प्रदान करने की सिफारिश की है। इन तीन नए वर्गो को शामिल करने के बाद नि:शुल्क जांच सेवाओं के लाभार्थी वर्ग की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी।

मंत्रिमंडल ने उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति प्रदान की। उप-समिति ने प्रदेश सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न सिफारिशों का प्रस्ताव दिया है।

मंत्रिमंडल ने शेष लगभग 400 खुदरा शराब की दुकानों की व्यक्तिगत आधार पर तत्काल पुर्ननीलामी करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने होटल वाइल्डफ्लावर हॉल, मशोबरा के अंतरिम संचालन के लिए ईआईएच लिमिटेड के साथ प्रबंध सेवा अनुबंध (मैनेजमेंट सेवा कॉन्ट्रैक्ट) करने को अनुमति प्रदान की, जिससे राज्य को प्रतिमाह 1.77 करोड़ रुपये की आय सुनिश्चित होगी। प्रतिस्पर्धी ई-नालामी या बोली प्रक्रिया के माध्यम से नया संचालक चयनित होने तक संपत्ति को क्षरण से बचाया जा सकेगा।

बैठक में इलैक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में विभिन्न सरकारी परिसरों में 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह चार्जिंग स्टेशन विश्राम गृहों, परिधि गृहों, जल शक्ति व लोक निर्माण विभाग के परिसरों में, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यालयों तथा उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण बीबीएनडीए कार्यालयों में स्थापित किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेस प्रिवेंशन आफ डिस्फिगरमेंट एक्ट, 1985 के प्रावधानों को शेष शहरी स्थानीय निकायों में लागू करने का निर्णय लिया, जिनमें 7 नगर निगम, 17 नगर परिषद और 23 नगर पंचायत शामिल हैं। इसका उददेश्य सार्वजनिक स्थलों के विकृतिकरण को रोकना है जिसके तहत भवनों, दीवारों, वृक्षों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों पर नोटिस, चित्र या संकेतों जैसे विज्ञापनों के प्रदर्शन को नियंत्रित किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित अटल आदर्श विद्यालय मढ़ी को आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से क्रियाशील बनाने की स्वीकृति प्रदान की।

सरकार लोगों को बेहतरीन परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए बचनबद्ध:मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को समयबद्ध एवं गुणवत्तायुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत न केवल हिमाचल पथ परिवहन निगम में बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है बल्कि यात्रियों को टैम्पो ट्रैवलर की सुविधा देने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग एक हजार बसों को चरणबद्ध आधार पर बदला जा रहा है। 600 नई बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है। 350 इलेक्ट्रिक तथा 250 डीजल बसों की खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप 37 अथवा 42 सीटर बसें ही खरीदी जा रही हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में नई बसों की खरीद नहीं की गई। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा समयबद्ध नई बसों की खरीद की जा रही है साथ ही पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत अभिनव प्रयास भी किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश ठाकुर, रमेश चौहान, मोहन मेहता, नगर निगम सोलन के पार्षद राजीव कौडा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार सैनी, एचआरटीसर सोलन के मण्डल प्रबंधक सुरेन्द्र राजपूत और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कांगड़ा भूकंप की 120वीं वर्षगांठ पर प्रदेश में आपदा जागरूकता दिवस का आयोजन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 4 अप्रैल 1905 को आए विनाशकारी भूकंप की 120वीं वर्षगांठ को आज राज्य में आपदा जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया गया। 7.8 तीव्रता के इस भीषण भूकंप में लगभग 20 हजार लोगों ने जान गंवाई थी और हजारों पालतू जानवर मारे गए थे। लगभग 1 लाख घर पूरी तरह से तबाह हो गए थे।

प्रदेश सचिवालय में सायरन बजते ही दोपहर 3 बजे मॉकड्रिल शुरू हुई जिसमें अग्निशमन विभाग, पुलिस तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने भाग लिया।

इस दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मॉकड्रिल का जायजा लेते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से अग्निशामक उपकरणों के बारे में जानकारी हासिल की। मॉकड्रिल के बाद राज्य सचिवालय में भूकंपरोधी भवन निर्माण अपनाने पर और आपदा से तैयारी के संबंध में प्रस्तुति दी गई।

मुख्य सचिव ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों का आयोजन निरंतर किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपदा के प्रति जागरूक हो सकें। उन्होंने कहा कि भू-वैज्ञानिकों द्वारा भूकंप जैसी विनाशकारी आपदा के पूर्वानुमान का पता लगाने के लिए प्रयास जारी हैं। ऐसे में जागरूकता और तैयारी से ही आपदा से सुरक्षित बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा भूकंप से सबक लेते हुए प्रदेश के लोगों ने उस समय भवन निर्माण के लिए धज्जी दीवार और काष्ठकुणी शैली को अपनाया। उन्होंने भूकंपरोधी भवन निर्माण पद्धतियों को अपनाने पर भी बल दिया।

सचिव, सचिवालय प्रशासन राकेश कंवर ने एकीकृत पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित करने की सलाह दी जिससे कि आपदा के दौरान एक ही स्थान से संदेश भेजे जा सकें और नियंत्रण व संचालन भी बेहतर हो सके।

इससे पहले, निदेशक व विशेष सचिव आपदा प्रबंधन डीसी राणा ने कहा कि आपदा के लिए तैयारी और जागरूकता के लिए सभी जिला मुख्यालयों में आज नागरिक एकजुटता मार्च निकाला गया। उन्होंने कहा कि आपदा जागरूकता दिवस के तहत 5 अप्रैल तक प्रदेश के सभी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य विभाग, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में छात्रों से जुड़ी गतिविधियां करवाई जा रही हैं। इस दौरान छात्रों को भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में जानकारी दी जा रही है। आपदा की तैयारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आपदा के दौरान फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मॉकड्रिल भी आयोजित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों को अप्रैल माह के लिए ग्राम सभा का एजेंडे में आपदा के लिए तैयारी और जागरूकता को शामिल किया गया है। अत्याधिक मौसमीय घटनाओं के दृष्टिगत पंचायतों को गांवों में जल निकासी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, जल निकासी मार्गो से अतिक्रमण हटाना, असुरक्षित स्थानों पर निर्माण रोकना, पहाड़ियों एवं ढलानों की स्थिरता सुनिश्चित करना, सुरक्षित और परंपरागत निर्माण पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भूकंप जोन-4 व 5 में आता है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर और बिलासपुर जिला जोन-5 में होने के कारण सबसे अधिक भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्र हैं, जो इसे भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। उन्होंने कहा कि भूकंपीय जोन-5 में आने वाले क्षेत्र सबसे अधिक खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विनाशकारी भूकंप आने की संभावना रहती है।

इस दौरान विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन हरबंस सिंह बुसकोन, पुलिस अधीक्षक एसडीआरएफ अर्जित सेन ठाकुर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

एचपी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने पिछले वित्त वर्ष में 94.44 करोड़ रुपये का कारोबार किया

4.90 करोड़ रुपये का सकल लाभ और 1.64 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित

शिमला/शैल। एचपी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के

निदेशक मंडल की 261वीं बैठक बागवानी, राजस्व, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में अवगत करवाया गया कि निगम ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 94.44 करोड़ रुपये का कारोबार किया। निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.90 करोड़ रुपये ऑडिट से पूर्व का सकल लाभ और 1.64 करोड़ रुपये ऑडिट से पूर्व का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

बागवानी मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए निगम के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन को राज्य के किसानों के हित में अपनी संपूर्ण गतिविधियों को सुदृढ़ करना चाहिए और इसके संचालन के तहत पालमपुर, नालागढ़, धर्मपुर और ज्वालामुखी में स्थित निगम के पेट्रोल पंपों की दिशा में भी सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

निदेशक मंडल ने राज्य के किसानों के लाभ के लिए गन्ना और संतरे से बनने वाले उत्पादों के उत्पादन और विनिर्माण पर विचार करने के लिए जिला कांगड़ा के कंदरोरी में स्थित 45.65 कनाल खाली भूमि के उपयोग को भी मंजूरी दी। बागवानी मंत्री ने निर्देश दिए कि इस विषय पर जल्द विचार के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाए।

उन्होंने कहा कि एचपीएआईसी के एचपीएमसी के साथ विलय की प्रक्रिया को कॉरपोरेट मंत्रालय के साथ चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए।

बैठक में सचिव बागवानी सी. पालरासू, निदेशक कृषि कुमुद सिंह, प्रबंध निदेशक एचपीएआईसी रीमा कश्यप और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मिल्कफेड के अध्यक्ष की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री का आभार जताया

शिमला/शैल। कुल्लू जिला के एक प्रतिनिधिमंडल ने ओक ओवर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने बुद्धि सिंह ठाकुर को हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड का अध्यक्ष नियुक्त करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है, जिसमें मिल्कफेड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य की 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और सरकार उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दो वर्ष के दौरान दूध के खरीद मूल्य में 21 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। इसके अलावा, हिमाचल सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती से पैदा गेहूं और मक्की की खरीद का सबसे अधिक समर्थन मूल्य निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री ने बुद्धि सिंह ठाकुर की कार्य के प्रति समर्पण भाव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई से उनकी और बृद्धि सिंह ठाकुर की राजनैतिक यात्रा एक साथ शुरू हुई थी। उन्होंने जीवन में कई

उतार-चढ़ाव देखे हैं। उनकी नियुक्ति से कुल्लू जिला को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से आनी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने का वायदा किया।

विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री की पहल की सराहना की।

मिल्कफेड के नवनियुक्त अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह पिछले 45 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनकी नियुक्ति से मुख्यमंत्री ने आनी विधानसभा क्षेत्र और पूरे कुल्लू जिला को सम्मान प्रदान किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

मुख्यमंत्री ने एलर्जली बिल्डिंग के चरण-2 की आधारशिला रखी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में ऐतिहासिक एलर्जली भवन के चरण-2 की आधारशिला रखी। परियोजना की अनुमानित लागत 19.72 करोड़ रुपये है और इसे अप्रैल, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

परियोजना के तहत छः मंजिलों का भवन निर्मित किया जाएगा, जिसमें तीन मंजिलें पार्किंग के लिए, दो मंजिलों में सचिवालय कार्यालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस परियोजना के पूर्ण होने पर सचिवालय परिसर में भीड़ कम होगी और आम लोग सुगमता से अपने कार्य करवा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भवन के निर्माण से लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इससे सर्कुलर रोड पर यातायात की सुचारू रूप से आवाजाही होगी।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए विमल नेगी की मृत्यु संबंधी मामले पर भाजपा पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय ईडी नादौन में छापेमारी कर सकता है, तो सीबीआई की जांच भी करवाई जा सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले के प्रति संवेदनशील और गंभीर रूख अपना कर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी विमल नेगी की मृत्यु के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं। विमल नेगी की पत्नी ने भी मुझसे भेंट की है और हम शोक संतप्त परिवार के साथ पूरी सहानुभूति और एकजुटता के साथ खड़े हैं।

एचपीएमसी के निदेशक मंडल की 217वीं बैठक आयोजित

शिमला/शैल। एचपीएमसी के अध्यक्ष और राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जनशिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एचपीएमसी के निदेशक मंडल की 217वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

एचपीएमसी में नवनियुक्त गैर-सरकारी निदेशकों जोगिंद्र गुलेरिया, राजेश शर्मा, राजेश ठाकुर और वीरेंद्र सिंह जस्वाल ने भी बैठक में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज करवाई।

बोर्ड ने नवनियुक्त निदेशकों का स्वागत करते हुए उन्हें एचपीएमसी की गतिविधियों और भविष्य के विजन से अवगत करवाया। प्रबंध निदेशक सुदेश कुमार मोख्टा ने अवगत करवाया कि एचपीएमसी की वित्तीय स्थिति में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है और वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 5 करोड़ रुपये का लाभ होने का अनुमान है।

निदेशक मंडल ने एचपीएमसी के गुम्मा, रोहडू, चच्योट, रिकांगपिओ, पतलीकूहल, ओबी, जरोल टिक्कर, भुंतर, तत्तापानी और जियाबॉन्ग में नियंत्रित वातावरण स्टोर और ग्रेडिंग एवं पैकिंग लाइन्स को किराये पर देने का निर्णय लिया। यह निर्णय भी लिया गया कि एचपीएमसी के 7 नियंत्रित वातावरण स्टोर और 10 ग्रेडिंग एवं पैकिंग लाइन्स के ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग के लिए और प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर लाभ अर्जित करने के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

निदेशक मंडल ने एचपीएमसी के रेडी टू ड्रिंक सेब जूस को 250 मिली. 500 मिली. और 1 लीटर की पैकिंग में लॉन्च किया। इस जूस में शुगर की मात्र बिल्कुल भी नहीं है वहीं बाजार में एचपीएमसी की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए इसे विशेष रूप से तैयार किया गया है। बैठक में बताया गया कि सेब जूस में शुगर एड नहीं होने से बाजार मध्यस्थता योजना के तहत किसानों से सीधे सेब की खरीद को समर्थन मिलेगा।

यह अवगत करवाया गया कि पराला, परवाणू और जरोल प्लांट में वर्ष 2024 में अब तक का सबसे ज्यादा 2 हजार मीट्रिक टन एप्पल जूस कंसन्ट्रेट का उत्पादन हुआ। एचपीएमसी के एप्पल साइडर विनेगर और एप्पल जूस कंसन्ट्रेट अमेजॉन मार्केट प्लेस के माध्यम से भी बिक्री की जा रही है। देश भर से इन उत्पादों को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही

है। इसलिए एचपीएमसी अब अपने जैम, स्कवैश, आचार को भी अमेजॉन और अन्य ऑनलाइन पोर्टल पर विक्रय करेगा।

बैठक में बताया गया कि एचपीएमसी ने हिम तरंग नाम से पैकिंग में पीने का पानी भी लॉन्च किया है जिसे भी बाजार से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद जताई गई। एचपीएमसी अपने नए अल्कोहल उत्पाद शनैप्स और साइडर को विकसित और लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है।

बैठक में मंजूरी दी गई कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत राज्य में सिर्फ एचपीएमसी ही सेब खरीद करने के लिए अधिकृत एजेंसी होगी।।

निदेशक मंडल ने पराला प्लांट में सेब खरीद के लिए मंडी मध्यस्था योजना के तहत क्रेट का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया ताकि सेब खरीद में और अधिक गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

निदेशक मंडल ने किन्नौर जिले के टापरी में जियोथर्मल ऊर्जा आधारित कोल्ड स्टोर स्थापित करने के लिए मैसर्स जियोट्रोपी इंडिया के साथ समझौता हस्ताक्षरित करने को भी मंजूरी दी।

बैठक में बताया गया कि विश्व बैंक की बागवानी विकास परियोजना के तहत रोहडू, गुम्मा, जरोल टिक्कर, चच्योट, तत्तापानी, रिकांगपिओ, जियाबॉन्ग, भुंतर, पतलीकूहल और ओबी में नियंत्रित वातावरण स्टोर की 13 परियोजनाओं और ग्रेडिंग लाइन्स और पराला में फल प्रसंस्करण ईकाई का कार्य पूरा कर लिया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि एचपीएमसी की मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, पतलीकूहल, और राजगढ़ की सपंत्तियों से अधिक से अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए लिए इन्हें पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। सरकारी कंसल्टेंसी एजेंसी के जरिए इन सपंत्तियों का व्यवहार्यता देखी जाएगी।

बैठक में एचपीएमसी की संचालन दक्षता और वित्तीय निरंतरता और अधिक सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने जिला सिरमौर के गांव दाड़ो देवरिया में सुनी जनसमस्याएं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला सिरमौर की उप तहसील नारग के गांव दाड़ो

देवरिया में अपने प्रवास कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लोगों की जन समस्याएं सुनी। उन्होंने स्थानीय निवासियों को उनकी मांगों पर सहानुभूतीपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। दाड़ो देवरिया पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधान ग्राम पंचायत दाड़ो देवरिया देवेंद्र ठाकुर सहित ग्राम वासियों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को सम्मानित किया।

इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर से उनके निवास स्थान पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, सिरमौर के उपायुक्त सुमित खिमटा, सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क राजीव कुमार, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा स्थानीय लोग उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार ने शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन के लिए शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा निदेशालयों को स्कूल शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अब स्कूल शिक्षा निदेशालय के रूप में कार्य करेगा। यह निदेशालय बाल वाटिका से जमा दो कक्षा तक से संबंधित मामलों को देखेगा, वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों को देखेगा।

हिमाचल में सरकारी भर्तियों के लिए निदेशालय का गठन

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने शिमला में भर्ती निदेशालय हिमाचल प्रदेश की स्थापना की अधिसूचना जारी की है। यह निदेशालय एक नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और यह कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी तथा अन्य ग्रुप-सी पदों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कार्य करेगा। इस निदेशालय की स्थापना का उद्देश्य प्रदेश में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है।

उन्होंने कहा कि भर्ती निदेशालय, कार्मिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा और इसका संचालन हिमाचल प्रदेश सचिवालय, परिसर में किया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

पावर कॉरपोरेशन में सैंकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार इंजीनियर सुनील ग्रोवर के बयान से उठी चर्चा

- यह भ्रष्टाचार कॉरपोरेशन के प्रबंधन के अतिरिक्त अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री के नियंत्रण पर भी सवाल खड़े करता है।
- कारपोरेशन के अध्यक्ष से क्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सवाल जवाब कर पायेंगे
- भ्रष्टाचार के सहभागी न बनना विमल नेगी को पड़ा भारी

शिमला/शैल। क्या अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा और पुलिस की जांच स्व. विमल नेगी की मौत के लिये जिम्मेदार लोगों को सजा दिला पायेगी। यह सवाल इंजीनियर सुनील ग्रोवर के उस ब्यान के बाद चर्चा में आया है जो उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा को सौंपा है। इंजीनियर सुनील ग्रोवर एचपीएस एलडीसी के एम डी रह चुके हैं और अखिल भारतीय पावर इंजीनियरिंग फैडरेशन के संरक्षक भी हैं। इस नाते उनके तकनीकी ज्ञान और अनुभव पर संदेह नहीं किया जा सकता। सुनील ग्रोवर ने अपने ब्यान में पावर कॉरपोरेशन में व्यापक भ्रष्टाचार की तथ्यों के साथ जो कहानी सामने रखी है उसके मुताबिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं पेखूबेला में ही सौ करोड़ से अधिक का घपला हुआ है और शोंग-टोंग जल विद्युत परियोजना में तो कई सौ करोड़ का घपला है। इन घपलों का आकार देखकर कोई भी व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं होगा कि एक दो अधिकारी ही अपने स्तर पर इतना बड़ा कारनामा कर गये होंगे। क्योंकि हर बोर्ड कॉरपोरेशन के प्रबंधन में वित्त विभाग का प्रतिनिधि होता है। फिर विभाग का प्रभारी सचिव भी होता है जो पूरे विभाग पर नजर रखता है। पावर कॉरपोरेशन में तो अध्यक्ष भी नियुक्त हैं। विद्युत विभाग का प्रभार तो स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। फिर जिस तरह के नीतिगत फैसले शोंग-टोंग परियोजना में लिये गये हैं संभव है कि वह विषय मंत्री परिषद तक भी पहुंचे हों। इंजीनियर सुनील ग्रोवर के ब्यान से स्पष्ट है कि पावर कॉरपोरेशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार अपने में ही एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। इस भ्रष्टाचार के कारण विमल नेगी के लिये जीवन समाप्त कर देने की परिस्थितियां निर्मित हुई या नहीं यह पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार हुआ है यह खुलासा इंजीनियर सुनील ग्रोवर का सत्यापित बयान कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पर हुआ भ्रष्टाचार कॉरपोरेशन के प्रबंधन के अतिरिक्त अध्यक्ष ऊर्जा सचिव और प्रभारी मंत्री तक को कटघरे में खड़ा कर देता है। इस मामले की प्रशासनिक जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव कर रहे हैं। लेकिन कॉरपोरेशन के अध्यक्ष तो शायद मुख्य सचिव स्वयं हैं। इसलिये अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्य सचिव से बतौर कॉरपोरेशन अध्यक्ष कितने और क्या सवाल जवाब कर पायेंगे यह आम समझ का विषय है।

वित्तीय संकट से जूझ रहे प्रदेश में इस आकार का भ्रष्टाचार घट जाये तो यह पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल हो जाता है। इंजीनियर ग्रोवर ने अपने बयान के हर पन्ने पर हस्ताक्षर किये हैं और इसका अर्थ यह हो जाता है कि वह इस बयान में दर्ज तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए तैयार हैं।

बयान में दर्ज तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कॉरपोरेशन में सैकड़ो करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार पर बहुत पहले वायरल हुये पत्र में भी कई संकेत दर्ज थे। लेकिन तब इस भ्रष्टाचार की जांच को रोकने के लिये पत्रकारों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवा दी गयी थी। यदि उस समय पत्र में दर्ज तथ्यों को गंभीरता से लिया होता तो शायद विमल नेगी को अपना जीवन समाप्त करने की स्थितियां ना बनती ।

यह है इंजीनियर ग्रोवर के बयान के अंश

iv) Quoting few glaring examples of mismanaged projects resulting from incompetence, high headedness, and financial corruption of Sh. Harikesh Meena, IAS and Er. Desh Raj are 450 MW Shongtong Karcham HEP (under construction in Kinnaur District), and the recently commissioned 32 MW Pekhubella Solar Power Project in Una District.

The project wise glaring acts of omission and commission of the management of HPPCL under Sh. Harikesh Meena which clearly reek of high level corruption that have been brought to our knowledge are as follows:

A. **Pekhubella Solar Power Project (32 MW):**

Completion cost:	Rs. 220 Crores
Cost of construction per MW:	Rs. 6.8 Crore
Tariff (as per Mandatory petition filed by HPPCL):	Rs.4.90per unit

I. The following facts will demonstrates how these corrupt people headed by Harikesh Meena were successful in getting wrongful gains to them by manipulating each and every thing by corrupt and illegal means:-

a) The DPR itself was manipulated to inflate costs, and surprisingly the bids were also in that range.

b) The tenders for the project were called in March, 2023 with date of opening as 4th April, 2023. At that point of time, the cost of Solar PV module was @28 Rs/kwp. At the time of award, i.e. on 15th May, 2023, prices had fallen by 20%, and subsequently in the next 15 days the prices were reduced by as much as 50%, i.e. by around Rs. 14/kwp. But HPPCL did not negotiate the rates considering these facts.

c) HPPCL awarded this 32 MW Solar project at an extraordinarily exorbitant cost of Rs. 220 Crores, which brings the average rate to 6.8 Crore/MW against the national average of Rs.3.5 to 4

Crore/MW. Thus, the awarded value of project should not have been more than Rs. 120 Crores

d) The work was awarded to a firm, M/s Prozeal, which was not qualified in the initial online bids and additional documents were taken during post bid clarification.

e) No e-reverse bidding was held for the project.

f) Payment of drainage dewatering chamber have been made even though work was not completed, which also resulted in flooding of project site during August, 2024.

g) A High-Level Power Committee (HLPC) was constituted and forced to recommend Extension of Time (EOT) even though in the initial reports it was submitted that there was delay at the end of the firm.

h) It is a fact that due to poor planning and mismanagement no PPA was executed for sale of power. This also made it impossible for HPPCL to have any financial tie-up for the execution of the project.

i) Further, it is pertinent to mention that HPPCL filed a petition for determination of tariff for sale of power from the project demanding Rs. 4.9 per unit which was disallowed by HPERC and instead allowed a tariff of Rs. 2.90 per unit. Thus, it will not be possible for the government to recover even the capital cost of the project.

j) Earlier, as MD Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEBL) as well, Sh. Harikesh Meena had caused loss of crores to the HPSEBL/State by not allowing HPSEBL to buy power offered by SJVNL @Rs. 2.42 per unit. Attempts were made to sign a PPA with HPSEBL for Pekhubella power @ Rs. 4.50 per unit. The regulator had, however, restricted tariff for Pekhubella power project at Rs. 2.92 per unit.

k) Also during the intervening period i.e. from award to commissioning. Shri. Harikesh Meena as MD, HPSEBL

(additional charge) didn't allow HPSEBL to buy even the solar power available in open market which resulted in loss of crores of rupees to HPSEBL exchequer. Also, it is understood that to counter the SJVN rates of per unit solar power offered to HPSEBL, one Chief Engineer of HPSEBL was forced to sign and submit an affidavit in Hon'ble HPERC with wrong facts

l) Various reports have also emerged in the media where in it has been stated that there has been a loss of around 100-120 Crores to the State from the construction of Pekhubella solar power project which needs thorough investigation to ascertain the truth and to bring to books the persons who had indulged themselves in high level corruption.

B. **Shongtong Karcham HEP (450 MW) Under construction:**

Capacity of the project:	450 MW
Approved Estimated Cost (as per DPR)	
a) Civil works:	1165.00 Crores
b) Electromechanical works:	504.20 Crores
c) Transmission works:	54.90 Crores
d) Total:	**1724.10 Crores**
Expenditure incurred upto August, 2024:	2230 Crores
Work completed up to august, 2024:	48-53%
Estimated Project Cost (if COD by December, 2026, which is highly unlikely)	= 4800 Crores

a) The main civil contractor on the above-mentioned Hydro Power Project of HPPCL i.e. M/s Patel Engineers has been unduly favoured by Shri. Harikesh Meena, IAS, MD until the unfortunate demise of Er. Vimal Negi.

b) The main reason for the time and cost overrun has been the rampant corruption and lackadaisical attitude of management of HPPCL during

the last about three years. In contravention of all accepted canonical principles of financial prudence, attempts were made to provide Rs. 450 crores to the firm as interest free advance, and an additional hefty amount of Rs. 128/km for haulage of material was also proposed, but were not approved by the Board of Directors (BoD) as the said civil contractor has already been paid the complete contract value of Rs. 1080 Crores inspite of the fact that only 48 % of work has been completed at the time.

c) There are allegations that the representatives of the said civil contractor have been facilitating the construction of the house of Sh. Harikesh Meena in his home state Jaipur. Additionally, the firm's representatives have also been organising lavish parties and making hospitality arrangements for Shri Harikesh Meena in towns/cities outside Himachal Pradesh and has been satisfying his greed of hefty bribes at all times. .

d) A communication on similar lines was circulated widely in social media some months back as complaint and the contents of the letter still remain to be investigated.

5. Interestingly, the Modus Operandi of Shri. Harikesh Meena, IAS, was that to provide legitimacy to his decisions, he was in the habit of forming High level Power Committees (HLPCs) and then coercing the officers of these HLPCs to make documents as per his whims and fancies, and unobliging officers were threatened with suspension, or charge-sheets, etc.

6. The various facts narrated above were also highlighted by Sh. Tarun Shridhar, Director General of Indian Food and Agriculture Council and former officer of Indian Administrative Service in his aptly titled article "Hume Kshama Kar Dena Vimal Negi" in the national newspaper, Dainik Jagran. Relevant extracts of the article are reproduced here for reference:

"The English saying is "Caesar's wife should be above suspicion", i.e. higher positions should be beyond doubt. Unfortunately, the situation is